न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 31 / 2021

दायर दिनांकः 12.10.2021

निर्णय दिनांक 07.03.2024

—:अनवानः—

रामचन्द्र पिता कजोड जाति माली आयु वयस्क निवासी खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द — **निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत खमनोर जरिये सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
2. हुक्मीचन्द पिता धूलचन्द जी माली, निवासी खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द — **गैर निगराकार**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 01 दिनांक 23.02.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत खमनोर से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी / निगरानीकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित
3— श्री संजय माण्डोत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी याचिका विरुद्ध विपक्षीगण के धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम,1994 के इस न्यायालय में दिनांकः 24.09.2021 को पेश की गयी हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा राजस्व ग्राम खमनोर, पटवार हल्का खमनोर में स्थित भूमि का पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। जिसके पडौस व नाप निम्न प्रकार है — पूर्व : नाप 36 फीट, पडौस मुख्य सड़क खमनोर से उदयपुर जाने वाली, पश्चिम : नाप 36 फीट, पड़ौस निगराकार रामचन्द्र का मकान, उत्तर : नाप 20 फीट, पडौस — रमेश पिता कालु जी का मकान,

दक्षिण : नाप 20 फीट, पडौस–भंवरलालजी महाजन का मकान, कुल क्षेत्रफल 720 वर्गफीट का भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निगराकार की कब्जेशुदा एवं अपने मकान में आने जाने के लिये मुख्य सडक से अपने मकान के मध्य स्थित भूमि का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विपक्षी से मिलीभगत करते हुए जारी किया गया है जो विधि के विपरीत हैं। निगराकार का मकान अन्दर हल्का आबादी ग्राम पंचायत खमनोर में स्थित है। उक्त मकान के पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क स्थित है। मकान एवं मुख्य सड़क के बीच स्थित भूमि पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का होकर निगराकार द्वारा ही इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है लेकिन उक्त भूमि का पट्टा फर्जी रूप से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत से जारी करवाया हैं जो प्रारम्भ से ही शून्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में जारी कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित कर दी। ग्राम पंचायत की आदेशिका से यह प्रमाणित है कि दिनांक 27.12.2019 को उक्त पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पेश किया था उसी दिन प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23.02.2019 को ही इसकी सुनवाई नियत करते हुए पट्टा जारी कर दिया गया जो नियमों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही एक ही दिन में बैठे बैठे सम्पादित की है जो उक्त पत्रावली को देखने से ही प्रमाणित हो रहा है। आवेदन पेश के बाद न तो आपत्ति आव्हान निकाली गई, न ही मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई, न ही मौके पर जाकर इसकी जांच की गई अर्थात पंचायत राज अधिनियम के तहत दिये गये नियमों की लेश मात्र भी पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय नियम 146 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 को नियमानुसार निलामी की कार्यवाही में प्रदत्त नहीं की है। उक्त भूमि के संबंध में न तो निलामी निकाली गई है, न ही उक्त भूमि के संबंध में नियम 140 के प्रावधानों की पालना की गई है। नियम 140 से 148 के प्रावधानों की लेश मात्र भी पालना नहीं की गई है तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होते हुए भी मौके पर निर्माण होना बताया है और मात्र 7200/– रूपये में उक्त भूमि विकय कर दी गई है जबकि उक्त भूमि आम रास्ते का भाग है, इसलिये उसको कानूनन ग्राम पंचायत द्वारा विकय नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किया गया विक्रय एवं जारी पट्टा कानूनन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। निगराकार के पक्ष में जो पट्टा जारी कर रखा है, वह ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी कर रखा है जिसके पड़ौस के रूप में पूर्व में उदयपुर जाने वाली सड़क, पश्चिम में नाड़ी जाने वाला रास्ता तथा उत्तर में भगवानलाल का मकान, दक्षिण में भंवरलाल कागरेचा का मकान स्थित है। जिसका पट्टा मिसल संख्या 20/1967 के जरिये राशि जमा करवाने पर जारी किया गया था

न्यायालय जिला कलक्टर

लेकिन उक्त पट्टा कहीं खो जाने से निगराकार द्वारा डुप्लीकेट जारी करवाने के लिये श्रीमान जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां पर दिनांक 26.03.2009 को निवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन मांगा गया और पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर निर्माण स्वीकृति हेतु वर्ष 2009 में निर्माण स्वीकृति भी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 23.09.2009 को जारी की गई थी। उक्त भूमि पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत जारी किया है। उक्त भूमि सड़क का भाग होते हुए भी मुख्य सड़क जो कि राज्यमार्ग के रूप में खमनोर से उदयपुर सड़क पर जारी किया गया है और सड़क के मध्य बिन्दू से 50 फीट तक किसी प्रकार का पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त नहीं किया जा सकता है लेकिन उक्त पट्टा तो आम रास्ता अर्थात सड़क की भूमि पर ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। गलत रूप से पटवारी हल्का से पट्टा जारी करने के बाद दिनांक 13.03.2019 को रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें आराजी नम्बर 1593 में भूखण्ड स्थित होना बताया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब पट्टा दिनांक 23.02.2019 को ही जारी कर दिया है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 13.03.2009 को उक्त पत्रावली में रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिससे यह प्रमाणित है कि यह समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी रूप से की गई है पुरानी तारीख में पट्टा जारी करने के पश्चात पटवारी से रिपोर्ट ली गई लेकिन ग्राम पंचायत को इस तथ्य की जानकारी नहीं रही कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में तारीख का अंकन कर दिया गया जिससे उक्त पट्टे के जारी करने में फजीवाड़ा की प्रमाणिकता हो रही हैं। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 20.12.2021 को उपस्थित हुआ और पत्रावली पेश की। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय माण्डोत ने अपनी उपस्थिति दी। लेकिन तत्पश्चात अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में लिए गए आधारो को दोहराते हुए ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में जारी कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित कर दी। दिनांक 27.12. 2019 को उक्त पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पेश किया था उसी दिन प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23.02.2019 को ही इसकी सुनवाई नियत करते हुए पट्टा जारी-कर दिया गया जो नियमों के विपरीत है। आवेदन पेश के बाद न तो आपत्ति आव्हान निकाली गई, न

न्यायालय जिला कलक्टर

ही मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई, न ही मौके पर जाकर इसकी जांच की गई अर्थात पंचायत राज अधिनियम के तहत दिये गये नियमों की लेश मात्र भी पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय नियम 146 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 को नियमानुसार निलामी की कार्यवाही में प्रदत्त नहीं की है। उक्त भूमि के संबंध में न तो निलामी निकाली गई है, न ही उक्त भूमि के संबंध में नियम 140 के प्रावधानों की पालना की गई है। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होते हुए भी मौके पर निर्माण होना बताया है और मात्र 7200/– रूपये में उक्त भूमि विकय कर दी गई है जबकि उक्त भूमि आम रास्ते का भाग हैं, कानूनन ग्राम पंचायत द्वारा विकय नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किया गया विक्रय एवं जारी पट्टा कानूनन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। निगराकार के पक्ष में जो पट्टा जारी कर रखा है, वह ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी कर रखा है जिसके पड़ौस के रूप में पूर्व में उदयपुर जाने वाली सड़क, पश्चिम में नाड़ी जाने वाला रास्ता तथा उत्तर में भगवानलाल का मकान, दक्षिण में भंवरलाल कागरेचा का मकान स्थित है। जिसका पट्टा मिसल संख्या 20/1967 के जरिये राशि जमा करवाने पर जारी किया गया था लेकिन उक्त पट्टा कहीं खो जाने से निगराकार द्वारा डुप्लीकेट जारी करवाने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन मांगा गया और पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर निर्माण स्वीकृति हेतु वर्ष 2009 में निर्माण स्वीकृति भी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 23.09.2009 को जारी की गई थी। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत जारी किया है। उक्त भूमि सड़क का भाग होते हुए भी मुख्य सड़क जो कि राज्यमार्ग के रूप में खमनोर से उदयपुर सड़क पर जारी किया गया है और सड़क के मध्य बिन्दू से 50 फीट तक किसी प्रकार का पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त नहीं किया जा सकता है । गलत रूप से पटवारी हल्का से पट्टा जारी करने के बाद दिनांक 13.03.2019 को रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें आराजी नम्बर 1593 में भूखण्ड स्थित होना बताया गया। जब पट्टा दिनांक 23.02.2019 को ही जारी कर दिया है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 13.03.2009 को उक्त पत्रावली में रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिससे यह प्रमाणित है कि यह समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी रूप से की गई है पुरानी तारीख में पट्टा जारी करने के पश्चात पटवारी से रिपोर्ट ली गई। जिससे उक्त पट्टे के जारी करने में फजीवाड़ा की प्रमाणिकता हो रही हैं। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर (राज.)

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राम पंचायत खमनोर के द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे के संबंध में प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। पट्टे के लिए आवेदन दिनांक 27.12.2018 को प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत ने उक्त आवेदन को दिनांक 27.12.2019 को आदेशिका में दर्ज किया गया तथा इस आवेदन पत्र को दिनांक 23.02.2019 को निस्तारित कर पट्टा जारी करनें के आदेश किये गये हैं लेकिन इस संबंध में कोई मिसल संख्या पत्रावली पर कायम नही हुई हैं और पटवार हल्का से पट्टा जारी करनें के आदेश के पश्चात दिनांक 13.03.2019 को रिपोर्ट की हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त पट्टे के सबंध में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमो के विपरित जाकर फर्जी रूप से उक्त कार्यवाही की गई हैं। जो पट्टा पत्रावली से प्रमाणित हो रहा हैं। भूखण्ड का पट्टा जारी करने के संबंध में नियम 140 से 148 के प्रावधान हैं लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमो की पालना नही किया जाना भी प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त विवेनचानुसार निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.02.2019 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.02.2019 को निरस्त किया जाता हैं

Bullo
(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bullo
(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)